महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग जरिए सचिव

बनाम

संदीप श्रीराम वारडे व अन्य

(सिविल अपील संख्या–4597 वर्ष 2019 आदि)

दिनांक–03 मई, 2019

न्यायमूर्तिगण अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा।

सहायक आयुक्त (ओषधि) और ओषधि निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक पात्रता योग्यता शैक्षणिक योग्यता के साथ–साथ ओषधि के निर्माण और परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता थी। अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में व्यावहारिक अनुभव एक वांछनीय योग्यता थी। वांछनीय अनुभव रखने वाले प्रत्यर्थीगण–उत्तरदातागण को विचार के लिए अयोग्य पाया गया। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में विनिर्माण या परीक्षण के अनुभव को नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को पलटते हुए अभिनिर्धारित किया कि अनुसंधान अनुभव भी पात्रता शर्त के रूप में जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी और अभिनिर्धारित किया गया कि नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें तय करना नियोक्ता का कार्य है। न्यायिक पुनर्विलोकन की आड़ में अदालत विज्ञापन के व्याख्यात्मक पुनर्लेखन द्वारा पात्रता की शर्तों को पुनः निर्धारित नहीं कर सकती है। समतुल्यता के प्रश्न भी न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर होंगे। अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में ओषधियों के परीक्षण का अनुभव विनिर्माण के समय किए गए परीक्षण के बराबर नहीं कहा जा सकता है। ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1961 की धारा 3(च) का न्यायिक पुनर्विलोकन। अपील को स्वीकार करते न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि,

1. किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं नियोक्ता को तय करना है। नियोक्ता किसी भी वरीयता अनुदान सहित अतिरिक्त या वांछनीय योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। यह नियोक्ता ही है, जो नियोक्ता की जरूरतों और काम की प्रकृति के अनुसार उम्मीदवार की आवश्यकताओं को तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है। न्यायालय पात्रता की शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकती है और विज्ञापन की व्याख्यात्मक पुनर्लेखन द्वारा आवश्यक योग्यता के बराबर वांछनीय योग्यता के संबंध में इस मुद्दे पर तो गहराई से विचार नहीं कर सकती है। समतुल्यता के प्रश्न भी न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र से बाहर होंगे। यदि विज्ञापन की भाषा और नियम स्पष्ट हैं, तो न्यायालय उस पर निर्णय नहीं दे सकती। यदि विज्ञापन में कोई अस्पष्टता है या किसी नियम या कानून के विपरीत है, तो मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उचित आदेश के बाद नियुक्ति प्राधिकारी के पास वापस जाना होगा। किसी भी मामले में न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन की आड़ में, नियुक्ति प्राधिकारी की कुर्सी पर बैठकर यह तय नहीं कर सकता कि नियोक्ता के लिए सबसे अच्छा क्या है और विज्ञापन की शर्तों की स्पष्ट भाषा के विपरीत व्याख्या नहीं कर सकता है। [पैरा 10]

2. यह तथ्य कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और जिसने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने से पूर्व दस्तावेजों की जांच की है, किसी अयोग्य उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए पात्र बनाने के लिए विज्ञापन की स्पष्ट शर्तों के विरूद्ध विबंधन के रूप में कार्य नहीं कर सकता। [पैरा 11]

3. 'विनिर्माण' को किसी भी ओषधि एवं प्रसाधन को उसकी बिक्री या वितरण की दृष्टि से निर्मित करने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने, तैयार करने, पैक करने, उस पर लेबल लगाने, उसे तोड़ने या अन्यथा व्यवहृत अथवा अनुकूलित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, परीक्षण के अनुभव को विनिर्माण प्रक्रिया से सह–संबंधित किया जाना चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से उत्पाद को बाजार में निर्माण और बिक्री के लिए जारी करने से पहले अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण से पूरी तरह से अलग होगा। यह कहना कि अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में ओषधियों के परीक्षण का अनुभव बिक्री से पहले निर्माण के समय किए गए परीक्षण के बराबर होगा, अनुमोदित किये जाने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। [पैरा 13]

4. विज्ञापन में उल्लिखित शब्द "वरीयता" का निर्वचन इस तरह से नहीं किया जा सकता कि केवल इसलिए कि एक उम्मीदवार के पास अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में परीक्षण का अपेक्षित अनुभव हो सकता है, उसके पास आवश्यक पात्रता थी और उसे नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिमान्य अधिकार था। [पैरा 14]

5. इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा सहायक आयुक्त (ओषधि) और ओषधि निरीक्षक के पदों के संबंध में विज्ञापन की शर्तों के संबंध में किये गये निर्वचन को कायम नहीं रखा जा सकता। [पैरा–16]

सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व अन्य बनाम डॉ. अनिता पुरी व अन्य 1996 (6): एससीसी–282: [1996] 5 सप्लीमेन्ट्री एससीआर 361 – का अनुसरण किया गया। केस लॉ रेफरेंस [1996] 5 सप्लीमेन्ट्री एससीआर 361 का अनुसरण किया गया। उच्च न्यायालय बाम्बे की रिट याचिका सं– 7960/2016 के साथ सिविल अपील सं– संख्या 4598–4601 और 4602 वर्ष 2016 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित–17.07.2017 के विरूद्ध।

सुश्री पिंकी आनंद, श्रीमती माधवी दीवान, अतिरिक्त सालिसिटर जनरल, संजय खर्दे, सम्राट शिंदे, सुनील कुमार वर्मा, सोमिरन शर्मा, अमित कुमार, अर्जुन भदेना, सुश्री स्निधा मेहरा, सुश्री कीर्ति दुआ, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, गुरुमीत सिंह मक्कैर, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अमोल बी. करांडे, सत्यजीत ए.देसाई, सुश्री अनघा एस.देसाई, संदीप सुधाकर देशमुख, सुनील कुमार वर्मा, पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. विलम्ब क्षमा किया गया। अनुमति दी गई ।

2. अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश से व्यथित हैं जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि ओषधियों के अनुसंधान और विकास और उसके परीक्षण में अपेक्षित वर्षों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी विज्ञापन दिनांकित–04.01.2012 व 31.03.2015 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त (ओषधि) और अ ोषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

3.अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क प्रस्तुत किया कि ओषधियों के निर्माण और परीक्षण में अपेक्षित वर्षों के व्यवाहरिक अनुभव के साथ शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता थी। अनुसंधान और

विकास प्रयोगशाला में अनुसंधान का अनुभव एक वांछनीय योग्यता थी जो ऐसे व्यक्ति को केवल वरीयता का हकदार बना सकती थी। बाद के अनुभव को नियुक्ति के लिए आवश्यक पात्रता के बराबर नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने वांछनीय योग्यता को अपने आप में एक आवश्यक योग्यता के रूप में फिर से परिभाषित करने के लिए विज्ञापन को गलत तरीके से पढ़ने में गलती की।

4. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क प्रस्तुत किया कि वे स्नातकोत्तर (एम.फार्मा) थे, जिनके पास प्रयोगशाला में ओषधियों के परीक्षण के साथ–साथ अनुसंधान और विकास में तीन साल से अधिक का अनुभव था। वे भी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र थे और इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा उनके दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें चयन के लिए बुलाया गया था और जिसने उन्हें विचार के लिए पात्र के रूप में अनुशंसित किया था। एक बार जब उन्हें सचेतन चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी गई, तो उन्हें विचार के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 3(च) में विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा को अपना आधार बनाया। पक्षकारों द्वारा अन्यक कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (इसके बाद “न्यायाधिकरण” के रूप में संदर्भित किया जायेगा) ने 2013 ओ.ए. नंबर 820 में अभिनिर्धारित किया कि अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में विनिर्माण या परीक्षण के अनुभव को वर्तमान भर्ती के प्रयोजनों के लिए अनुभव नहीं माना जा सकता। उक्त अनुभव केवल उम्मीदवार को वरीयता का हकदार बनाता है, बशर्ते कि उसके पास ओषधियों के निर्माण और परीक्षण में बुनियादी पात्रता और अपेक्षित अनुभव हो।

6. न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को उलटते हुए, उच्च न्यायालय रिट याचिका सं–6637 वर्ष 2014 और इसी तरह के मामलों में अभिनिर्धारित किया कि प्रयोगशाला में ओषधियों के संश्लेषण और परीक्षण में अनुसंधान अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को इस आधार पर अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता कि ऐसा अनुसंधान अनुभव विनिर्माण से नहीं जोड़ा जा सकता, एक विकृत व्याख्या होगी। प्रयोगशाला में ओषधियों के संश्लेषण और परीक्षण में अनुसंधान का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पात्रता शर्तों को गलत तरीके से पढ़कर अवसर से इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छी तरह से प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान कार्य ओषधियों के निर्माण के उद्देश्य से होते हैं। इस आदेश का अनुसरण उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय के समक्ष की रिट याचिका सं–7960 वर्ष 2016 में किया गया।

7. हमारे द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया है। सबसे पहले अधिनियम की धारा 3(च) और विज्ञापनों के उद्धरण पर विचार करना विवेकपूर्ण होगा। "3(च) किसी भी ओषधि (या प्रसाधन) के संबंध में "विनिर्माण" में किसी भी ओषधि या प्रसाधन सामग्री को उसके विक्रय या वितरण की दृष्टि से निर्मित करने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने, तैयार करने, पैक करने, उस पर लेबल लगाने, उसे तोड़ने या अन्यथा व्यवहृत अथना अनुकूलित करने के लिए कोई भी प्रक्रिया या प्रक्रिया का भाग ही है, किन्तु फुटकर कारोबार के मामूली क्रम में किसी ओषधि की मिश्रता या उसे नुस्खा बनामा अथवा किसी ओषधि या प्रसाधन सामग्री को पेक करना इसके अन्तर्गत नहीं है तथा विनिर्मित करने का अर्थ तद्नुकूल किया जायेगा।

8. सहायक आयुक्त (ओषधि) के लिए दिनांक 04.01.2012 के विज्ञापन में योग्यता इस प्रकार है: "(बी) निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव होना चाहिए – (i) भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी

विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में डिग्री या चिकित्सा में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ डिग्री (ii) न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ओषधियों के निर्माण या परीक्षण या अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त अनुभव।

9. ओषधि निरीक्षक के लिए विज्ञापन इस प्रकार है: – "खंड 4.5 – भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिन में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ डिग्री; और खंड 4.6 – योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त व्यावहारिक अनुभव [ऊपर खंड (i) में ओषधियों के निर्माण या परीक्षण या अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कम से कम तीन साल की अवधि के लिए; खंड 4.7 – खंड 4.5 में उल्लिखित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या ओषधियों के संश्लेषण और परीक्षण में अनुसंधान अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

10. किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं नियोक्ता को तय करना है। नियोक्ता किसी भी वरीयता अनुदान सहित अतिरिक्त या वांछनीय योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। यह नियोक्ता ही है, जो नियोक्ता की जरूरतों और काम की प्रकृति के अनुसार उम्मीदवार की आवश्यकताओं को तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है। न्यायालय पात्रता की शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकती है और विज्ञापन की व्याख्यात्मक पुनर्लेखन द्वारा आवश्यक योग्यता के बराबर वांछनीय योग्यता के संबंध में इस मुद्दे पर तो गहराई से विचार नहीं कर सकती है। समतुल्यता के प्रश्न भी न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र से बाहर होंगे। यदि विज्ञापन की भाषा और नियम स्पष्ट हैं, तो न्यायालय उस पर निर्णय नहीं दे सकती। यदि विज्ञापन में कोई अस्पष्टता है या किसी नियम या कानून के विपरीत है, तो मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उचित आदेश के बाद नियुक्ति प्राधिकारी के पास वापस जाना होगा। किसी भी मामले में न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन की आड़ में, नियुक्ति प्राधिकारी की कुर्सी पर बैठकर यह तय नहीं कर सकता कि नियोक्ता के लिए सबसे अच्छा क्या है और विज्ञापन की शर्तों की स्पष्ट भाषा के विपरीत व्याख्या नहीं कर सकता है।

11. यह तथ्य कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और जिसने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने से पूर्व दस्तावेजों की जांच की है, किसी अयोग्य उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए पात्र बनाने के लिए विज्ञापन की स्पष्ट शर्तों के विरूद्ध विबंधन के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

12. विज्ञापन को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह प्रावधान है कि किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिन में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ डिग्री के साथ ओषधियों के निर्माण या परीक्षण में अपेक्षित वर्षों का अनुभव आवश्यक योग्यताएं थीं। अनुसंधान प्रयोगशाला में ओषधि के संश्लेषण और परीक्षण में अनुसंधान अनुभव की अतिरिक्त वांछनीय योग्यता रखने वालों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

13. 'विनिर्माण' को किसी भी ओषधि एवं प्रसाधन को उसकी बिक्री या वितरण की दृष्टि से निर्मित करने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने, तैयार करने, पैक करने, उस पर लेबल लगाने, उसे तोड़ने या अन्यथा व्यवहृत अथवा अनुकूलित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, परीक्षण के अनुभव को विनिर्माण प्रक्रिया से सह–संबंधित किया जाना चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से उत्पाद को बाजार में निर्माण और बिक्री के लिए जारी करने से पहले अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण से पूरी तरह से अलग होगा।

यह कहना कि अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में ओषधियों के परीक्षण का अनुभव बिक्री से पहले निर्माण के समय किए गए परीक्षण के बराबर होगा, अनुमोदित किये जाने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है।

14. खंड 4.7 में वरीयता खंड का अर्थ केवल यह है कि यदि आवश्यक डिग्री योग्यता और वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए ओषधियों के निर्माण और परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव वाले उम्मीदवार के पास अनुसंधान प्रयोगशाला में अनुसंधान अनुभव की एक अतिरिक्त वांछनीय विशेषता है, तो अन्य चीजें समान होने पर ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जा सकती है। विज्ञापन में उल्लिखित शब्द "वरीयता" का निर्वचन इस तरह से नहीं किया जा सकता कि केवल इसलिए कि एक उम्मीदवार के पास अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में परीक्षण का अपेक्षित अनुभव हो सकता है, उसके पास आवश्यक पात्रता थी और उसे नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिमान्य अधिकार था। .

15. न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए विचार को, सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और अन्य बनाम डा. अनीता पुरी और अन्य, 1996 (6) एससीसी 282 में स्वीकृति मिलती है, जो इस प्रकार है: – "7, स्वीकृत तौर पर प्रकाशित विज्ञापन में डेंटल ऑफिसर के पदों के लिए उम्मीदवारों से मंगाये आवेदन स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि पद के लिए न्यूनतम योग्यता बी.डी.एस. है। यह भी निर्धारित किया गया कि उच्च दंत चिकित्सा योग्यता के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें बात पर कोई विवाद नहीं है कि एम.डी.एस. पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता से उच्च योग्यता है और प्रतिवादी के पास वह डिग्री थी। प्रश्न यह है कि क्या एम.डी.एस. योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर उच्च योग्यता के लिए वरीयता प्रदान करते हुए चयनित और नियुक्त होने का हकदार है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। जब कोई विज्ञापन पद के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में एक विशेष योग्यता निर्धारित करता है और आगे यह भी निर्धारित करता है कि उच्च योग्यता के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो इसका एकमात्र अर्थ यह है कि उच्च योग्य उम्मीदवारों को कुछ अतिरिक्त महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी कल्पना से इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि एक उच्च योग्य व्यक्ति स्वचालित रूप से चयनित और नियुक्त होने का हकदार है.....

मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय ने हमारी सुविचारित राय में यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से गलती की थी कि उत्तरदाता दन्त शल्य चिकित्सा जैसा योग्य व्यक्ति तब चयनित और नियुक्त होने का हकदार था, जब सरकार ने विज्ञापन में संकेत दिया था कि उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को कुछ वरीयता मिलेगी। इसलिए, उच्च न्यायालय का उक्त निष्कर्ष पूरी तरह से कायम रहने योग्य नहीं है और पलटे जाने योग्य है। इसलिए हम सहायक आयुक्त (ओषधि) और ओषधि निरीक्षकों के पदों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा की गई विज्ञापन की शर्तों के निर्वचन को पुष्ट करने में असमर्थ हैं। उच्च न्यायालय के दिनांक–04.05.2017 और 17.07.2017 के आक्षेपित आदेशों को निरस्त किया जाता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कोई आदेश खर्चे के संबंध में नहीं किया जाता है। कल्पना के. त्रिपाठी की अपील स्वीकार की गई।

Vetted by
(Praveen Kumar)
Civil Judge (S.D.)FTC
Court No. 27 Shahjahanpur.
(UP)